

20/10/2024 फावली पेटा हुई बम्बेला जहाँ जेना बम्बेला जहाँ
 न बम्बेला जहाँ संलग्न । ता 13 की बम्बेला जहाँ
 जाल जोरिदा बारीयें ताबे 0 सी की जाल बम्बेला
 पेटा की जहाँ शामिल फावली की गई । मजबूत
 संलग्न । ता 13 की जेना से कोई भी उपाय
 नहीं आये विद्याला इनके बिना (न्यायालय
 कार्यवाही की जाती है) फावली बम्बेला बम्बेला
 दिनांक 16/10/24 को पेटा है।

16/10/2024 फावली पेटा हुई बम्बेला जहाँ अनुपायें । फावली
 बम्बेला बम्बेला दिनांक 28/10/2024 को पेटा है।

28/11/2024 पत्रावली आज पेटा हुई । वकील जहाँ एवं पैरोकार सरसर
 उपस्थित । वकील जहाँ बम्बेला सुनी जायी । वकील जहाँ ने
 अपने जर्माना-पत्र की दस्तुआ के अनुसार ही वाज्यस्त
 आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा टार अप्रार्थीगण को पाबंद
 करवाने हेतु निवेदन किया । वाज्यस्त आराजी ख. न. 5/4,
 5/4, 5/5 एवं मूल ख. न. 5 पर माननीय न्यायालय
 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के प्रच्छन्न संयथा 3/2023
 में रोजस्व रेकर्ड एवं मौबे की जवास्थिति बाबत स्पष्टानोट
 अंकित हो रखा है । वकील जहाँ बम्बेला एवं पत्रावली से
 उपलब्ध अस्तावेजत के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के
 तीनों बिना प्रथम दुष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं
 अपूरणीय हानि जहाँ के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं अतः
 जहाँ का जर्माना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के
 कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली कैसल शुमार होकर
 दर्ज नम्बर से कम होकर बाड तन्मील शामिल इफ्तार है ।
 निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 को मेरे द्वारा
 लिखा जाकर सरे-दस्तास सुनाया गया।



28/11/24
 जालयक व
 बाप (फलोदा)